



सप्तदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-20.02.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री महबूब आलम,
स०वि०स०
श्री अरुण सिंह,
स०वि०स०,
श्री गोपाल रविदास,
स०वि०स०

“सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक बुनियादी मानवीय अधिकार है, जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 अपने नागरिकों को गरिमपूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। उपरोक्त संवैधानिक अधिकार के तहत बिहार सरकार द्वारा 60 वर्ष तथा 80 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को प्रतिमाह क्रमशः 400 एवं 500 रूपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है। 80 के दशक में पेंशन की शुरूआत 50 रूपये से हुई थी। तब से अबतक मुद्रास्फीति की दर 50 गुणा बढ़ी है तथा खालीन एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत सौ गुणा बढ़ी है।

अतएव लोकहित में मुद्रास्फीति एवं महंगाई के महेनजर वृद्धजनों को न्यूनतम 3000/- रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।”

2. श्री विजय कुमार खेमका,
स०वि०स०
श्री विनय बिहारी,
स०वि०स०
श्री नीतीश मिश्रा,
स०वि०स०


“केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से समन्वय पर आपदा प्रबंधन
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेश में लगभग 9600 आपदा मित्र/सख्ती प्रशिक्षण प्राप्त कर निरंतर सेवा कार्य दे रहे हैं। सरकार द्वारा इनकी कार्य की पूर्ण उपयोगिता स्पष्ट न करने की स्थिति में हजारों युवक-युवती पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण पलायन करने को मजबूर हैं।

अतः आपदा मित्रों/सख्तियों की उपयोगिता स्पष्ट कर कार्य का निश्चित मानदेश तय करने के साथ इनकी स्थायी नियुक्ति के लिये हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-३/२०२४- 326 / वि०स०, पटना, दिनांक- १९ फरवरी, २०२४ ई०।


प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-३/२०२४- 326 / वि०स०, पटना, दिनांक- १९ फरवरी, २०२४ ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप सचिव / माननीय उप मुख्य मंत्रिगण के आप सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्य मंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-३/२०२४- 326 / वि०स०, पटना, दिनांक- १९ फरवरी, २०२४ ई०।


प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव कुमार)


अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-३/२०२४- 326 / वि०स०, पटना, दिनांक- १९ फरवरी, २०२४ ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप सचिव एवं सचिव के प्रधान आप सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।


19/2/24